Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

मध्याह्न भोजन योजना (MDM) का अध्ययन: रोहतक व जीन्द जिले के सन्दर्भ में

Sudesh Kumari*

Professor, Vaishya Senior Secondary School, Rohtak

शोध सारांश – ***प्रस्तुत शोध पत्र में मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे-मिल) का अध्ययन हरियाणा के दो जिले रोहतक व जीन्द के सन्दर्भ में किया गया है। जिसके लिए दोनों जिलों (रोहतक व जीन्द) में से 12 विद्यालयों से मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापकों का चयन दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। आँकड़ों को एकत्रित करने के लिए साक्षात्कार अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में उत्तरदाताओं से लाभार्थियों को मिलने वाले भोजन के लिए उपलब्ध होने वाले राशन की नियमितता, पर्याप्तता, गुणवत्ता एवं इस कार्यक्रम के संचालन के अन्तर्गत काम करते समय मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया है। साथ ही आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष व सुझावों का भी वर्णन किया गया है।***

मुख्य शब्द:- ***मिड-डे-मील, गुणवत्ता, नियमितता, पर्याप्तत, इन्चार्ज अध्यापक, राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा अधिनियम इत्यादि।***

----------X----------

भूमिका

कुपोषण किसी भी देश या समाज के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या समझी जा रही है। कुपोषण की प्रकृति अपने आप में गंभीर है तथा इसकी समाप्ति किसी देश के विकास और समरमता को बनाए रखने के लिये जरूरी है। कुपोषण निर्धनता एवं असमानता के कभी न समाप्त होने वाले दुश्चक्र को जन्म देता है। ऐसी स्थिति में कानूनी अवसर की समानता भी लोगों को समान रूप से संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम नहीं बना सकती है। एक शिशु जिसका संज्ञानात्मक विकास उचित रूप से न हो सका हो वह स्कूल से लेकर अपने जीवन के विभिन्न पड़ाव में अन्य सक्षम लोगों से प्रतिस्पद्र्धा नहीं कर सकेगा। यह स्थिति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी जब तक कि विभिन्न प्रयासों द्वारा इस स्थिति से बाहर नहीं निकाला जाता।[1]

ग्लोबल न्यूट्रिशन रिर्पोट 2018 का कहना है कि दुनिया में कुल 15 करोड़ 80 लाख अविकसित बच्चों में से 31 फीसदी बच्चे भारत में हैं, जबकि दुनिया भर के कुपोषित बच्चों का आधा हिस्सा भारत में रहता है। भारत ही ऐसा देश है जहां 'कुपोषित' बच्चों की संस्था ज्यादा है (लम्बाई के हिसाब से कम वजन और वजन घटने के गंभीर संकेत) और तीव्र कुपोषण के अधिक गंभीर संकेतक हैं।[2]

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (मिड-डे-मील):-

प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम शुरू में देश के 2408 ब्लॉकों में लागू किया गया। इसका उद्देश्य स्कूलों में दाखिलों की संख्या बढ़ाना, स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना और कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने में योगदान करना है। साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना भी इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य है।[3] प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए 100 ग्राम और अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए 150 ग्राम प्रति स्कूल प्रति दिन प्रति बच्चा फ्री अनाज प्रदान किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के दौरान पोषण सम्बन्धी सहायता जो कि एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, को मिड-डे-मील योजना के रूप में जाना जाता है और इस योजना के तहत सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और अपर प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के छात्रों को गर्म खाना 15 अगस्त, 2004 से पूरे राज्य में

www.ignited.in

उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित 20.04.2004 के आदेशों के अनुपालन में कार्यान्वित की जा रही है।

इस योजना को अपग्रेड किया गया है और इस योजना के तहत स्कूलों द्वारा विभिन्न 16 प्रकार के व्यंजन पकाये जा रहे हैं। जैसे मीठी खीर, वनस्पति, पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, राजमा चावल, कड़ी-पकौड़ा और चावल, मीठे चावल, मिस्सी रोटी और दाल, घीया, मीठे पूड़े, गेहूँ सोया पूरी और सब्जियाँ इत्यादि। उपरोक्त व्यंजनों में से जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटिन तथा अपर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटिन उपलब्ध करवाया जाता है।[4]

1 जुलाई, 2016 से वर्ष 2016-2017 के प्रति छात्र खाना पकाने की कीमत क्रमशः प्राथमिक स्कूलों के लिए 4.13 रूपये और मिडल स्कूलों के लिए 6.18 रूपये है। खर्च किए गए व्यय की लागत केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 रूपये का मानदेय प्रति माह कूक-कम-हैल्पर को भुगतान किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र का हिस्सा 600 रूपये और राज्य का हिस्सा 1900 रूपये प्रति माह है। बच्चों को मिड-डे-मील परोसने/पकाने का काम और बर्तन/रसोई उपकरणों की सफाई स्वंय सहायता समूहों को दी गई है। फरीदाबाद, गुरूग्राम, पलवल (हथीन ब्लॉक को छोड़कर) जिलों में मिड-डे-मील का आयोजन एक गैर सरकारी संगठन इस्कॉन द्वारा किया जा रहा है। यह योजना प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जाती है। वर्ष 2017-2018 में कुल बजट प्रावधान 34500 लाख रूपये है। जिसमें केन्द्र का हिस्सा 16,700 लाख रूपये है और राज्य योजना बजट से राज्य हिस्सा 17,800 लाख रूपये है। वर्ष 2017-2018 में प्राथमिक विद्यालयों के 9.45 लाख बच्चों और अपर प्राथमिक विद्यालयों के 7.3 लाख छात्रों को शामिल किया गया है। संशोधित योजना में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे लोह, फौलिक एसिड, विटामिन ए आदि के लिए प्रदान किया गया है। राज्य में सभी स्कूलों को थाली और चम्मच प्रदान किये गये है, इसलिए बच्चों को स्कूलों में अपना बर्तन नहीं लाना पड़ता। इसके अलावा राज्य सरकार ने मिड-डे-मील स्कीम के तहत 200 मि॰लि॰ मीठा दूध प्राथमिक स्कूल और अपर प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को दिया जाता है, व फोर्टिफाइट आटा दिए जाने का प्रावधान भी विचाराधीन है। मिड-डे-मील योजना को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत शामिल किया गया है।[5]

अध्ययन के उद्देश्य:-

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- लाभार्थियों को मिलने वाले भोजन के लिए उपलब्ध होने वाले राशन की नियमितता, पर्याप्तता एवं गुणवता का पता लगाना।
- मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापकों के समक्ष आने वाली समस्याओं का पता लगाना।

शोध-विधि:-

प्रस्तुत शोध की प्रकृति खोजपरक एवं विवरणाŸमक है। अध्ययन क्षेत्र में हरियाणा राज्य के दो जिलों रोहतक (5 खण्ड) व जीन्द (7 खण्ड) को शामिल किया गया है। दोनों जिलों के दो-दो खण्डों: रोहतक (रोहतक व सांपला) तथा जीन्द (जीन्द व जुलाना) में कुल 12 गांवों को अर्थात् प्रत्येक खण्ड में से 3 गांव का चयन सुविधानुसार शोध के लिए किया गया है। इस प्रकार चयनित प्रत्येक गांव में से प्रत्येक सरकारी विद्यालय का मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापक अर्थात् 12 उत्तरदाताओं का चयन दैव-निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूचि प्रविधि का प्रयोग किया गया है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पुष्टि अनुसंधानकर्ता के अवलोकन द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त इस विषय से संबंधित अध्ययनसामग्री, पुस्तकों, लेखों, इंटरनेट, शोधपत्रों, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी रिर्पोटो आदि की भी सहायता शोध-कार्य के लिए ली गई है। प्राप्त तथ्यों को एकत्रित करके उनका साधारण सांख्यिकी विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1

क्र॰स॰	जिला	चयनित विद्यालय के गांव	प्रत्येक चयनित गांव के विद्यालय से उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं की कुल संख्या
1	रोहतक (रोहतक व सांपला खण्ड)	मायना, कारोर, शिमली, पहरावर, खेड़ी साध, दत्तौड़	6 X 1=6	6
2	जीन्द (जीन्द व जुलाना खण्ड)	करसोला, नन्दगढ़, जैजैवन्ती, बहबलपुर, घिमाणा, गोविन्दपुरा	6 X 1=6	6
कुल				12

प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का चयन किया गया है:-

प्रश्न 1: क्या विद्यालय में मिड-डे-मील के लिए राशन नियमित रूप से आता है?

www.ignited.in

प्रश्न 2: क्या राशन पर्याप्त मात्रा में आता है?

प्रश्न 3: राशन की गुणवत्ता कैसी है?

प्रश्न 4: क्या खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है?

प्रश्न 5: आपको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करते समय किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

शोध प्राप्तियाँ:-

प्रश्न 1: क्या विद्यालय में मिड-डे-मील के लिए राशन नियमित रूप से आता है?

मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। यह तभी संभव है जब विद्यालयों में राशन नियमित रूप से उपलब्ध हो।[6] इसी तथ्य के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या राशन नियमित रूप से आता है?

तालिका 2

विद्यालय में मिड-डे-मील के लिए राशन की नियमितता

क्र.सं.	जिला	कई–कई महिनों में	तीन महीने में	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	1 (08.30%)	5 (41.70%)	6 (50%)
2	जीन्द	1 (08.30%)	5 (41.70%)	6 (50%)
3	कुल	2 (16.70%)	10 (83.30%)	12 (100%)

स्त्रोत : प्राथमिक आंकड़े

तालिका 2 से प्राप्त आंकड़ों के परिणाम से स्पष्ट है कि दोनों जिलों रोहतक व जीन्द में 83.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मिड-डे-मील के लिए उपलब्ध करवाया जाने वाला राशन प्रति तीन महीने में व 16.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कई-कई महीनों में उपलब्ध करवाया जाता है। साक्षात्कार के दौरान उत्तरदाताओं का कहना था कि प्रतिमाह राशन की रिर्पोट ली जाती है। व राशन तीन महीने में एक बार या कई-कई महीनों का इक्ट्ठा डलवाया जाता है।

प्रश्न 2: क्या राशन पर्याप्त मात्रा में आता है?

भूख, कुपोषण और गरीबी कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनका सामना पूरी दुनिया, खासकर विकासशील देश लम्बे समय से कर रहे हैं। इसमें से खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सबसे ज्यादा चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। दुनिया से भूख को मिटाया जा सके ओर सबको स्वस्थ व पोषणीय आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाकर खाद्य सुरक्षा के तन्त्र को मजबूत व कल्याणकारी बनाया जा सके।[7] इसी सन्दर्भ में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या राशन पर्याप्त मात्रा में आता है?

तालिका 3

राशन की पर्याप्त मात्रा

क्र.सं.	जिला	हां	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	5 (41.70%)	1 (08.30%)	6 (50%)
2	जीन्द	5 (41.70%)	1 (08.30%)	6 (50%)
3	कुल	10 (83.30%)	2 (16.70%)	12 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़े

तालिका 3 से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि दोनों जिलों के सभी 83.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है। जिसका कारण राशन की पर्याप्तता के प्रति सरकार की उच्च भागीदारी है। परन्तु 16.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करवाया जाता। जिसका कारण राशन की उठाई व तराई के मध्य लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार है।

प्रश्न 3: राशन की गुणवत्ता कैसी है?

आवश्यक भोजन और समुचित पोषण नहीं मिलने से बच्चों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता और कई तरह से अशक्त हो जाता है। कुपोषण का असर इतना गहरा होता है कि इसका असर बच्चे की पूरी जिन्दगी पर दिखता है। गुणवत्ता पूर्ण खाद्यान्न की अनुपलब्धता से कुपोषण की समस्या दुनिया के एक बड़े हिस्से में गहराती जा रही है।[8] उपरोक्त तथ्य के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया कि राशन की गुणवत्ता कैसी है?

तालिका 4

राशन की गुणवत्ता

क्र.सं.	जिला	बहुत अच्छी	अच्छी	सामान्य	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	1 (08.30%)	3 (25%)	2 (16.70%)	6 (50%)
2	जीन्द	2 (16.70%)	2 (16.70%)	2 (16.70%)	6 (50%)
3	कुल	3 (25%)	5 (41.70%)	4 (33.30%)	12 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़े

www.ignited.in

तालिका 4 से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दोनों जिलों (रोहतक व जीन्द) में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले राशन की गुणवत्ता 41.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार अच्छी, 33.30 प्रतिशत के अनुसार सामान्य व 25 प्रतिशत के अनुसार बहुत अच्छी है। जिसका कारण सरकार का बच्चों के भोजन की गुणवत्ता के प्रति सचेत होना तथा साथ ही इन्चार्ज अध्यापकों द्वारा राशन डलवाने से पहले गुणवत्ता की जाँच करना है।

- जिला जीन्द में तीनों प्राकर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत (16.70) एक समान हैं।

प्रश्न 4: क्या खाना पकाने के लिए गैस-चूल्हा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है?

भारत में सन् 1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना (मिड-डे-मील) विश्व में इस किस्म की सबसे बड़ी योजना है। नागरिक आंदोलनों की कोशिशों के कारण सन् 2001 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि विद्यालयों में सरकार द्वारा बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन दिया जाना अनिवार्य है। व साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में भी यही प्रावधान है।[9] इसी तथ्य के आधार पर उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है?

तालिका 5

खाना पकाने के लिए सरकार द्वारा गैस चूल्हे की उपलब्धता

क्र.सं.	जिला	हां	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	रोहतक	6 (50%)	0 (00.00%)	6 (50%)
2	जीन्द	6 (50%)	0 (00.00%)	6 (50%)
3	कुल	12 (100%)	0 (00.00%)	12 (100%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़े

तालिका 5 से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि जिला रोहतक व जीन्द में सभी यानि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकार द्वारा भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हा उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ ही रसोई घर व बर्तनों का भी उचित प्रबन्ध है। जिसका कारण सरकार द्वारा मिड-डे-मील योजना को सफल बनाने का सार्थक प्रयास है।

प्रश्न 5: आपको इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करते समय किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

किसी भी कार्यक्रम व योजना को सफल बनाने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शोधार्थी ने चयनित विद्यालयों में मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापकों से यह जानने का प्रयास किया है कि मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत काम करते समय आपको किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है?

तालिका 6

मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली समस्याएं

क्र.सं.	मिड–डे–मील कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली समस्याएं	रोहतक 6	जीन्द 6	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1	शिक्षण प्रभावित	2 (30%)	3 (50.00%)	5 (41.67%)
2	मात्रा में कमी (मिन्यु में खीर के लिए दूध व पूरी तलने के लिए रिफाइंड)	3 (50.00%)	0 (00.00%)	3 (25.00%)
3	राशन समय पर न पहुंचना	1 (16.67%)	0 (00.00%)	1 (08.34%)
4	ताजा व हरि सब्जी लाने की समस्या	0 (00.00%)	1 (16.67%)	1 (08.34%)
5	कोई समस्या नहीं	1 (16.67%)	2 (30.00%)	3 (41.67%)

स्त्रोत् : प्राथमिक आंकड़े

नोट: प्रस्तुत तालिका बहु उद्देशीय है। जिसमें दिए गए विकल्पों पर उत्तरदाताओं ने अपनी राय एक से अधिक विकल्पों पर भी की है। जिसके कारण किसी भी विकल्प का प्रतिशत 100 नहीं है।

- तालिका से प्राप्त परिणाम से स्पष्ट है कि दोंनों जिलों में लगभग आधे 41.67 प्रतिशत उतरदाताओं का मानना है कि मिड-डे-मील कार्यक्रम से शिक्षण प्रभावित होता है। उतरदाताओं के अनुसार इस कार्यक्रम से शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इतने सारे बच्चों को एक साथ खाना-खिलाने में समय अधिक लगता है। इसके अतिरिक्त मिड-डे-मील इन्चार्ज अध्यापक को खाना बनाने की व्यवस्था को संभालना पड़ता है। इन सभी कारणों से शिक्षा के लिए समय बहुत ही कम होता है। जिससे शिक्षण प्रभावित होता है।

- दोंनों जिलों में एक-चैथाई यानि 25 प्रतिशत उतरदाताओं का मानना है कि मिन्यु में जो खीर के लिए दूध की मात्रा है वह मिली प्रति बच्चा है जो बहुत ही कम है। ऐसे ही तेल की मात्रा 7.50 ग्राम है जो पूरी तलने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मात्रात्मक कमी के कारण बहुत परेशानी होती है।

www.ignited.in

- इसी क्रम में 08.34 प्रतिशत उतरदाताओं के अनुसार राशन का समय पर न पहुंचना भी एक बड़ी समस्या है।

- अधिकतर उतरदाताओं ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि राशन प्रति तीन माह में भी उपलब्ध कराया जाता है। परन्तु 08.34 प्रतिशत उतरदाताओं का कहना है कि राशन कई-कई महीनों में उपलब्ध होता है समय पर नहीं पहुंचता यानि उनको प्रति तीन माह में राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता।

- वहीं 08.34 प्रतिशत उतरदाताओं का कहना है कि ताजा व हरी सब्जी लाने की समस्या है। मिन्यु में मौसमी सब्जी का प्रावधान है। जिसके लिए शहर से मौसमी सब्जी लानी पड़ती है। गांव में ऐसी सुविधा नहीं है जिससे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

- इसी प्रकार दोनों जिलों में 41.67 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इस कार्यक्रम के अन्तगत उन्हे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।

निष्कर्ष एवं सुझाव:-

अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि रोहतक व जीन्द जिलों में अधिकतर (83.30 प्रतिशत) उत्तरदाताओं के अनुसार राशन प्रति तीन माह में उपलब्ध करवाया जाता है। दोनों जिलों में राशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि दोनों जिलों में एक तिहाई से अधिक उत्तरदाताओं के अनुसार राशन की गुणवत्ता अच्छी, एक तिहाई के अनुसार सामान्य व एक चैथाई के अनुसार बहुत अच्छी है। अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों जिलों के सभी उत्तरदाताओं के अनुसार विद्यालयों में मिड-डे-मील के अन्तर्गत खाना पकाने के लिए गैस, चूल्हा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही रसोई घर व बर्तनों का भी उचित प्रबन्ध है। अध्ययन से स्पष्ट है कि दोनों ही जिलों में मिड-डे-मील कार्यक्रम के अन्तर्गत मिड-डे-मील इन्चार्ज को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे:- शिक्षण प्रभावित होना, खीर के लिए दूध व पूरी तलने के लिए रिफाइंड की निर्धारित मात्रा कम, राशन कई बार समय पर न पंहुचना, ताजा व हरी सब्जी की समस्या इत्यादि।

अध्ययन से स्पष्ट है कि मिड-डे-मील योजना काफी हद तक सफल योजना है। अवलोकन के आधार पर इसमें काफी सीमा तक समस्याओं का अभाव पाया गया है। फिर भी जो निम्न समस्याएं हैं। उनको दूर करके इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। जिससे सम्बन्धी सुझाव निम्न प्रकार से है:-

- विशेष रूप से मिड-डे-मील इन्चार्ज को अलग से नियुक्त करना चाहिए जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावित होने से बचाया जा सके।

- मिड-डे-मील इन्चार्ज के रूप में महिला को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। जिससे कि रसोई सम्बन्धी कार्यों की देख-रेख व निरीक्षण अच्छी प्रकार से कर सके।

- जहां तक सम्भव हो सके खाद्यान्न खरीद, प्रबन्धन व वितरण स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि विद्यालयों तक खाद्यान्न उचित समय पर पहुँच सके और प्रबंधन, प्रशासन और परिवहन पर होने वाले भारी-भरकम खर्च को कम किया जा सके।

- मिड-डे-मील के लिए निर्धारित मैन्यु के अनुसार निर्धारित मात्रा का समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए और मात्रात्मक कमी को पूरा करना चाहिए।

- विद्यालय स्तर पर सभी विद्यार्थियों को फूड वेस्टेज के नुकसान के बारे में शिक्षित व जागरूक किया जाना चाहिए। जिससे बच्चों में बच्चपन से ही खाद्य सुरक्षा की भावना का विकास किया जा सके और साथ ही सरकार द्वारा विद्यालयी पाठ्यक्रमम में भी खाद्य-सुरक्षा सम्बन्धित मुद्दों को जोड़ देना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. www.middaymeal.com 20/06/2018
2. http://www. Akshayaptra.org 04/05/2018
3. एच.आई, विकास पीडिया, इन/एजुकेशन/पॉलिसीज एण्ड स्कीम, तिथि 26 दिसम्बर, समय 3.16 पी.एम, 2017
4. गोयल, मोनिका, 'स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन,' हरियाणा संवाद 2013, वर्ष 45, अंक 9, सूचना जनसम्पर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा, पृ॰ 9-10
5. आर्थिक सर्वेक्षण हरियाणा 2017-18, पृ॰ 90-91

www.ignited.in

6. राघव गैहा, "इज द राइट टू फूड गैटर?" इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 38, अंक 40, अक्टूबर 2003, पृ॰ 42, 76

7. प्रांजल धर, 'रोकना ही होगा खाद्य अपत्यय को,' नई दिल्ली, योजना भवन, संसद मार्ग, योजना, वॉ. 58, अंक 12, दिसम्बर 2013, पृ॰ 31

8. https://www.bbc.com>india>17/06/2018 time 3.13pm.

9. https://documents:wfp.org.18/06/2018 time 5.05 pm.

Corresponding Author

Sudesh Kumari*

Professor, Vaishya Senior Secondary School, Rohtak

sudeshkaushik16@gmail.com